


आदेश

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम ककराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 776, 789, 809, 810, 1489/807, 1490/807 किता 6 कुल रकबा 1.63 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 के दर्ज हिस्सा 1/8, 1/8 में से वादीगण को हिस्सा 1/12 का, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को हिस्सा 1/12 का तथा प्रतिवादी संख्या 11 को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खाते के शेष इन्द्राजात बदस्तुत रहेंगे। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करें।



उपरवण्ड अधिकारी (आर डी)
उदयपुरवाटी (कडकुरी)



निर्णय आज दिनांक 02/8/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपरवण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (कडकुरी)